न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 01/2013/223 आरटीए

1. गोरधन पुत्र रजीराम जाति सुथार निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. रघुवीर पुत्र रजीराम जाति सुथार निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. विनोद पुत्र रजीराम जाति सुथार निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांट

बनाम

1. दुनीराम पुत्र हुक्माराम जाति सुथार निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. बीरबल पुत्र खुमानाराम जाति सुथार निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. मु0 गिरदावरी पत्नि रजीराम जाति सुथार निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. मन्तरो देवी पुत्री रजीराम (फौत)

4/1 भागीरथ पुत्र मनीराम जाति सुथार निवासी गोगामेडी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

4/2 रामरतन पुत्र भागीरथ नाबालिग जरिये कुदरती पिता भागीरथ पुत्र मनीराम जाति सुथार निवासी गोगामेडी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

4/3 पूनम पुत्री भागीरथ नाबालिग जरिये कुदरती पिता भागीरथ पुत्र मनीराम जाति सुथार निवासी गोगामेडी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

4/4 माया पुत्री भागीरथ नाबालिग जरिये कुदरती पिता भागीरथ पुत्र मनीराम जाति सुथार निवासी गोगामेडी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

4/5 सुखदेव पुत्र भागीरथ नाबालिग जरिये कुदरती पिता भागीरथ पुत्र मनीराम जाति सुथार निवासी गोगामेडी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

5. सुन्दरो पुत्री रजीराम जाति सुथार निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. धर्मो पुत्री रजीराम पत्नि बनवारी जाति सुथार निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. शाखा प्रबन्धक श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खाराखेडा तहसील टिब्बी (विलोपित)
8. उपपंजीयक टिब्बी
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
10. साहबराम पुत्र धनपत जाति जाट निवासी नैमासर।

---रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.01.2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टिब्बी
मु.न. 69/2004 अनवानी मु0गिरदावरी बनाम दुनीराम आदि

उपस्थित :-

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलांट

श्री राजीव कुलश्रेष्ठ अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 4/1 से 4/5

श्री राकेश गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 10

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 9

निर्णय दिनांक 22.06.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट सं. 1 ता 3 व रेस्पो0 सं. 3 ता 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादीगण खारिज किया गया तथा प्रतिवादी का कांउटर क्लेम स्वीकार किया गया कि वादीगण प्रश्नगत भूमि चक 5 एमकेएस प.न. 197/213 कि.न. 1 व 2 कुल 2 बीघा मे किसी प्रकार की दखलअंदाजी करने से ममनू व बाज रहे, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर आई साक्ष्य का विधिनुसार विश्लेषण किये बिना पारित की गई है। चक 5 एमकेएस के प.न. 197/213 कि.न. 1 व 2 कुल 2 बीघा भूमि अपीलांट के पिता स्व. रजीराम की खरीदशुदा भूमि थी जो उनके फौत होने पर विरासतन बहिस्सा बराबर रजीराम के वारिसान को प्राप्त हुई। उक्त 2 बीघा भूमि

भूअभिलेख मे अपीलांट के पिता के नाम संयुक्त खाता मे दर्ज हो गई तत्पश्चात भू–प्रबन्ध के दौरान अपीलांट के पिता द्वारा खरीदशुदा भूमि अपीलांट के पिता के कब्जा काश्त की भूमि बिना सक्षम अधिकारी के आदेश व बिना किसी दस्तावेज के अनाधिकृत रूप से रेस्पो0 सं. 1 दुनीराम के नमा अंकित कर दी जिसकी घोषणा हेतु तथा निषेधाज्ञा व तकसीम खाता का वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमे विचारण न्यायालय द्वारा 7 तनकीयात कायम की गई। परन्तु विचारण न्यायालय ने तनकी सं. 1 ता 4 का एक साथ ही निर्णय किया है जबकि कानूनन प्रत्येक तनकी का तनकीवार निर्णय होना चाहिए। विचारण न्यायालय मे अपीलांट ने विवादित भूमि बैयनामा व उसके आधार पर अंकन के प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किये थे जिसको विचारण न्यायालय ने अनदेखा करते हुए प्रतिवादी सं. 1 के मौखिक कथनो के आधार पर ही स्व. रजीराम द्वारा हक त्याग मानते हुए अपीलांट को भूमि को खातेदार काश्तकार न मानकर अहम कानूनी भूल की है। विवादित भूमि अपीलांट के पिता की खातेदारी भूमि थी तथा जिस पर उनके जीवनकाल मे उनका कब्जा काश्त रहा तथा उनके फौत होने के बाद अपीलांट को विरासतन औद हुई तब से लगातार अपीलांट के कब्जा काश्त मे रही है तथा मौका पर आज भी अपीलांट के कब्जा काश्त मे है। बन्दोबस्त प्राधिकारी पूर्व की विद्यमान प्रविष्टियों को परिवर्तन करने हेतु सक्षम नही है, वादीगण सम्वत 2016 से 2040 तक रिकार्डेड खातेदार कृषक थे, भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा किये गये परिवर्तन बिना अधिकारिता के है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे RRT 2011(1) 534, 2013 (1) RRT 226, 1969 RRD 231, 2008(1) RRT 151, 1981 RRD 651, 2001 RRD 366, 1992 RRD 648, 1977 RRD 336, 1988 RRD 337 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर अपीलांट को चक 5 एमकेएस के प.न. 197/213 कि.न. 1 व 2 कुल 2 बीघा भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो खण्डन करते हुए कथन किया कि स्व. राजाराम के पिता खुमानाराम को 2 मुरब्बा आराजी भातीवाला मे अलॉट हुई थी। स्व. राजाराम सन् 1967 मे अलॉटशुदा आराजी भातीवाला जाकर काश्त करने लग गया और वही रहने लग गया और विवादित आराजी का स्व. राजाराम ने रेस्पो0 सं. 1 के हक मे परित्याग कर दिया और स्व. राजाराम ने रेस्पो0 के खातेदारी हकूक मान लिये व उक्त आराजी का पूर्णरूप से त्याग कर दिया। सन् 1967

से आज तक विवादित आराजी रेस्पो0 के कब्जा काश्त मे है व सन् 1967 से लम्बे कब्जा काश्त के आधार पर आराजी कागजात माल मे रेस्पो0 के नाम खातेदारी दर्ज हो गई। स्व. राजाराम की खरीदशुदा भूमि स्व. राजाराम के भाई के चिपती है तथा उस पर रेस्पो0 का कब्जा है। जिसका कभी भी अपीलांट के पिता द्वारा अपने जीवनकाल मे एतराज नही किया गया है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि मे किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नही रखते है। खसरा गिरदावरी व जमाबंदी रेस्पो0 सं. 1 के नाम से है। वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 के नाम दर्ज होने के कारण अपीलांट किसी प्रकार की घोषणा व निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादीगण खारिज कर रेस्पो0/प्रतिवादी का कांउटर क्लेम स्वीकार कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जो सही है। रेस्पो0 काफी लम्बे अरसे से वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा इसी आधार पर वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 के नाम दर्ज हुई इतनी लम्बी अवधि के पश्चात अपीलांट एक खातेदार काश्तकार के विरूद्ध बिना किसी आधार के दावा नही ला सकते है। अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस के समर्थन मे CDR 2016 (4) 1990 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 सं. 10 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो खण्डन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य बखूबी साबित हुआ कि अपीलांट के पिता रजीराम द्वारा अपने जीवनकाल मे अपनी भूमि का हकत्याग रेस्पो0 दुनीराम के पक्ष मे कर दिया था एवं राजस्व रिकार्ड मे भी अपीलांट खातेदार काश्तकार नही है। ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि का कोई अधिकार अपीलांट का नही बनता है जिसके संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.01.2013 मे विस्तृत विवेचन किया गया है परन्तु अपीलांट द्वारा बिना किसी आधार के यह अपील प्रस्तुत की गई है। इस निर्णय के बाद इस भूमि को रेस्पो0 सं. 1 ने दुनीराम द्वारा रेस्पो0 सं. 10 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विक्रय किया जा चुका है एवं उक्त भूमि का कब्जा भी रेस्पो0 के पक्ष मे है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

6. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 6 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि जो जरिये बैयनामा दिनांक 08.07.61 को अपीलांट के पिता रजीराम द्वारा चक 1 एमकेएस मु.न. 197/213 कि.न. 1 व 2 कुल 2 बीघा भूमि खरीद की गई थी जो अपीलांट रजीराम के नाम सांझे खाते मे दर्ज हुई। परन्तु बाद मे उक्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 दुनीराम के नाम से दर्ज कर दी गई। इसी आधार पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत कर घोषणा व निषेधाज्ञा व खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे जवाबदावा के आधार पर कुल 7 तनकीयात कायम की गई तथा तनकीसं. 1 ता 4 जो वादीगण/अपीलांट को साबित करनी थी, अधीनस्थ न्यायालय 1 ता 4 का निर्णय एक साथ करते हुए अंकित किया गया कि "वादीगण द्वारा बैयनामा प्रदर्श 1 ए पेश किया है, इस बैयनामा का नामान्तरण 2022–25 मे हो चुका है। इसलिये बैयनामा पेश करने का कोई औचित्य नही है। इस तनकी मे बैयनामा का निर्णय नही किया जाना है। रजीराम द्वारा अपने जीवनकाल मे अपनी भूमि का हक त्याग कर दिया गया था इसलिये वादीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार नही है व राजस्व रिकार्ड मे विवादित भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज चली आ रही है। चक 5 एमकेएस प.न. 197/213 कि.न. 1 व 2 कुल 2 बीघा भूमि पर प्रतिवादी द्वारा लिया हुआ ऋण अवैध रूप से नही लिया गया है, ऋण राजस्व रिकार्ड के आधार पर दिया जाता है। जब प्रतिवादी द्वारा विवादित भूमि पर लिया था तब रजीराम स्वयं जीवित था उसने अपने जीवनकाल मे कभी भी विरोध नही किया व वादीगण विवादित 2 बीघा भूमि का खाता अलग करवाने के अधिकारी नही है क्योंकि राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी सं. 1 अकेला खातेदार काश्तकार है। इसलिये तनकी सं. 1 ता 4 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के संबंध मे भी तनकी मे विवेचन किया जाना चाहिए था क्योंकि बैयनामा के अनुसार दिनांक 08.07.61 को वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पिता ने खरीद की थी जो उनके नाम दर्ज हो गई परन्तु भू–प्रबन्ध के दौरान उक्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 के नाम दर्ज कर दी गई जिसके संबंध मे कोई दस्तोवज रेस्पो0 सं. 1 द्वारा प्रस्तुत नही किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादग्रस्त भूमि का परित्याग अपीलांट के पिता रजीराम द्वारा रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे होने के संबंध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है, मात्र कथनो के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पिता की भूमि को रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे परित्याग होना मान गया है जबकि परित्याग के संबंध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और ना ही न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि वादग्रस्त भूमि चक 5 एमकेएस के प.न. 197/213 कि.न. 1 व 2 कुल 2 बीघा भूमि अपीलांट के पिता रजीराम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 08.07.1961 को खरीदशुदा है तथा इसी आधार पर वादग्रस्त भूमि रजीराम के नाम दर्ज हुई जो बाद बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के जमाबंदी मे रेस्पो0 सं. 1 के नाम दर्ज कर दी गई जो उचित प्रतीत नही होता है। उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायसंगत नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

8. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.01.2013 निरस्त किया जाता है तथा अपीलांट को चक 5 एमकेएस के प.न. 197/213 कि.न. 1 व 2 कुल 2 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 01/2013/223 आरटीए

1. गोरधन पुत्र रजीराम जाति सुथार निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. रघुवीर पुत्र रजीराम जाति सुथार निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. विनोद पुत्र रजीराम जाति सुथार निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांट

बनाम

1. दुनीराम पुत्र हुक्माराम जाति सुथार निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. बीरबल पुत्र खुमानाराम जाति सुथार निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. मु0 गिरदावरी पत्नि रजीराम जाति सुथार निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. मन्तरो देवी पुत्री रजीराम (फौत)

4/1 भागीरथ पुत्र मनीराम जाति सुथार निवासी गोगामेडी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

4/2 रामरतन पुत्र भागीरथ नाबालिग जरिये कुदरती पिता भागीरथ पुत्र मनीराम जाति सुथार निवासी गोगामेडी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

4/3 पूनम पुत्री भागीरथ नाबालिग जरिये कुदरती पिता भागीरथ पुत्र मनीराम जाति सुथार निवासी गोगामेडी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

4/4 माया पुत्री भागीरथ नाबालिग जरिये कुदरती पिता भागीरथ पुत्र मनीराम जाति सुथार निवासी गोगामेडी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

4/5 सुखदेव पुत्र भागीरथ नाबालिग जरिये कुदरती पिता भागीरथ पुत्र मनीराम जाति सुथार निवासी गोगामेडी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

5. सुन्दरो पुत्री रजीराम जाति सुथार निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. धर्मो पुत्री रजीराम पत्नि बनवारी जाति सुथार निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

7. शाखा प्रबन्धक श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खाराखेडा तहसील टिब्बी (विलोपित)

8. उपपंजीयक टिब्बी

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

10. साहबराम पुत्र धनपत जाति जाट निवासी नैमासर।

---रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.01.2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टिब्बी मु.न. 69/2004 अनवानी मु0गिरदावरी बनाम दुनीराम आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलांट, श्री राजीव कुलश्रेष्ठ अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1, श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 4/1 से 4/5, श्री राकेश गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 10 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 9 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.01.2013 निरस्त किया जाता है तथा अपीलांट को चक 5 एमकेएस के प.न. 197/213 कि.न. 1 व 2 कुल 2 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 22.06.2018 को जारी की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ